लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3887
उत्तर देने की तारीखः 17.03.2020

एससी और ओबीसी हेतु कल्याण योजनाएं

3887. श्री रामुलु पोथुगन्तीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लाभार्थियों का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) तेलंगाना के विशेष संदर्भ के साथ उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं में से प्रत्येक के लिए आवंटित और उपयोग की गई राशि कितनी है;
(ग) क्या सरकार समाज के इन वर्गों के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) सरकार अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए अनेक कल्याण स्कीमें चलाती है। इन स्कीमों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यों को जारी की गई निधियां तथा लाभार्थियों का ब्यौरा **अनुबंध-2** पर दिया गया है।

इन स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता सामान्यतः उनके द्वारा पूर्ण इस्तेमाल की जाती है। वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राशि की स्थिति में उसे अगले वर्ष जारी होने वाली निधियों में समायोजित कर दिया जाता है।

केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत, इस विभाग से लाभार्थियों को निधियां सीधे जारी की जाती हैं। लाभार्थियों तथा निधियों के राज्य-वार आंकड़े इन स्कीमों के लिए नहीं रखे जाते हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3887 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क. अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणार्थ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

1. कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तिः

इस स्कीम का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाने के लिए कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के माता-पिताओं की सहायता करना है। माता-पिता/अभिभावकों की आय 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तिः

इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। माता-पिता/अभिभावकों की आय 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए):

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) नामक स्कीम वर्ष 1980 में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के एक योजक के रूप में 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एससी के आर्थिक विकास के लिए परिवारोन्मुखी स्कीमों पर जोर देना है।

4. बालिकाओं और बालकों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनाः

इस स्कीम का उद्देश्य मिडिल स्कूलों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत एससी बालकों और बालिकाओं को रियाहशी आवास सुविधाएं प्रदान करना है।

5. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई):

"प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)" एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों की मौजूदा स्कीमों के कारगर और लक्षित कार्यान्वयन के माध्यम से अभिसरण रूप में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति (एससी) जनसंख्या वाले गांवों के एकीकृत विकास के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

6. सिविल अधिकार संरक्षण और अत्याचार निवारण (पीसीआर/पीओए) अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए स्कीमः

इस स्कीम के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दो अधिनियमों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

7. सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में नियोजित बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तिः

इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से संबंधित माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना हैः-

(क) मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम, 2013 की धारा 2(1)(छ) के अंतर्गत यथा परिभाषित मैनुअल स्केवेंजर;
(ख) टैनर्स और फ्लेयर्स;
(ग) कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति; और
(घ) मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम, 2013 की धारा 2(1)(घ) के अंतर्गत जोखिमपूर्ण सफाई के कार्यों में नियोजित व्यक्ति।

ख. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

8. ओबीसी के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तिः

इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकपूर्व स्तर पर अध्यनरत ओबीसी के बच्चों को प्रेरित करना है। ओबीसी से संबंधित उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 2,50,000/- रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो।

9. अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर/माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे पीएचडी डिग्री प्राप्त कर सकें। यह एक "निधि सीमित" स्कीम है। वर्तमान में, इस स्कीम के अंतर्गत पात्रता के लिए माता-पिता की आय सीमा 1.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष है।

10. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माणः

अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण की स्कीम वर्ष 2017-18 से संशोधित की गई है । इस स्कीम का उद्देश्य सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषरूप से

ग्रामीण छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

ग. अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें

1. एससी छात्रों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षाः

इस स्कीम का उद्देश्य कक्षा 12 के बाद शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके एससी छात्रों के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देना है।

2. एससी और औबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग स्कीमः

इस स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अच्छी किस्म की कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें और सरकारी/निजी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सफल हो सकें।

3. एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीमः

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति की श्रेणी से संबंधित छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में फैलोशिप प्रदान करना है ताकि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी, समाज शास्त्र और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीय में एम.फिल, पीएच.डी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति से अभिप्रेत उन चुनिंदा अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और पारंपरिक दस्तकारों के छात्रों को अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में विदेश में स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करना है।

5. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए सहायता (एससीडीसी)

इस स्कीम का उद्देश्य राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को ब्याज की निम्न दर पर मार्जिन धनराशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और पुनर्भुगतान दायित्व को कम करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

6. अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)

यह भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तौर पर कार्यान्वित सामाजिक क्षेत्र की एक पहल है।

7. अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्वि गारंटी योजना

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों में उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान करके, उद्यमिता को बढ़ावा देना है जो इन उद्यमियों को वित्तीय सहायता देंगे।

8. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (वीओ)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संगठनों के प्रयासों के माध्यम से सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के लिए विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना और कम सेवा वाले एससी बहुल क्षेत्रों में सुविधाओं के अन्तर को पाटना है। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों के लोगों को उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान एवं समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है

9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) का गठन फरवरी 1989 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्ववर्ती कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के तहत किया था। एनएसएफडीसी का प्रमुख उद्देश्य 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले सभी अनुसूचित जाति परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन्हें ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

घ. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें

10. ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिपः

इस स्कीम का उद्देश्य ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं में एम.फिल और पीएच.डी. जैसी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा डिग्री प्राप्त करने में समर्थ बनाना है।

11. अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों (ईबीसी) के लिए विदेश में अध्ययन हेतु डॉ. अम्बेडकर शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम:

इस स्कीम का उद्देश्य ओबीसी और ईबीसी के मेधावी छात्रों को ब्याज में सब्सिडी प्रदान करना है ताकि उन्हें विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें तथा उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाया जा सके।

12. ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायताः

इस स्कीम का उद्देश्य लक्ष्य-समूह अर्थात ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी आदि की शैक्षणिक और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को शामिल करना है ताकि उन्हें स्वयं के आय-जन्य कार्यकलापों को शुरू करने या किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए उनके कौशल का उन्नयन किया जा सके।

अनुबंध-2

दिनांक 17.03.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3887 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

1. कक्षा IX और X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (12.03.2020 के अनुसार):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		जारी केंद्रीय सहायता (रूपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता (रूपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता (रूपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता (रूपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1798.74	139710	0	0	0	एनआर	0	*
2	असम	0	0	0	0	0	एनआर	0	
3	बिहार	0	0	0	491564	0	480497	3772	
4	चंडीगढ़	46.75	2078	18.98	2569	0	2268	27	
5	छत्तीसगढ़	2496.29	119014	0	0	0	84747	698	
6	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	एनआर	0	
7	दमन और दीव	0	0	2.68	119	0	एनआर	0	
8	दिल्ली	0	104	2.36	204	0	39	268	
9	गोवा	0	0	0	0	0	एनआर	0	
10	गुजरात	2100.12	90949	0	0	0	73716	1039	
11	हरियाणा	0	0	1500	147104	0	एनआर	368	
12	हिमाचल प्रदेश	363.8	16146	143.01	27079	0	एनआर	0	
13	जम्मू और कश्मीर	129.83	5770	0	0	0	1093	70	
14	झारखंड	0	0	0	41305	1634	45992	676	
15	कर्नाटक	5819.59	221674	0	0	0	222775	2476	
16	केरल	1654.25	84210	0	75728	0	एनआर	19	
17	मध्य प्रदेश	13352.88	347356	0	0	0	एनआर	406	
18	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	एनआर	0	
19	मणिपुर	0	0	38.92	1367	0	1149	0	
20	मेघालय	0	0	0	0	0	एनआर	0	
21	ओडिशा	3140.88	139595	1849.79	217746	996	183072	1726	
22	पुडुचेरी	0	0	196.53	8735	0	एनआर	0	
23	पंजाब	2821.02	125161	1843	205791	0	228633	2031	
24	राजस्थान	2101.16	19942	0	0	3075	233651	2802	
25	सिक्किम	0	0	5.74	230	0	127	4	
26	तमिलनाडु	7382.39	350251	0	284495	0	256720	0	
27	तेलंगाना	0	0	0	41088	0	एनआर	0	
28	त्रिपुरा	205.48	9133	55.34	14385	259	15823	161	
29	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	2706	531589	8328	
30	उत्तराखंड	0	0	325.53	421000	0	एनआर	204	
31	पश्चिम बंगाल	7201.58	349674	300.12	301845	2870	268475	2042	
	कुल	**50614.76**	**2020663**	**6282**	**2282254**	**11540**	**2630366**	**27117**	

एनआर: रिपोर्ट नहीं की गई है।

*वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव के साथ 2019-20 के लाभार्थियों की संख्या प्राप्त होगी।

2. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (12.03.2020 के अनुसार):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		जारी निधि (रूपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधि (रूपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधि(रूपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधि (रूपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	14398	685102	31742.54	658534	9000	660193	28767	*
2	असम	1690	38366	0	23874	1500	7606	0	
3	बिहार	4081	0	0	89213	0	96189	0	
4	चंडीगढ़	0	3000	145.97	2203	797	1086	0	
5	छत्तीसगढ़	190	90871	3902.02	95565	323	104900	327	
6	दमन और दीव	0	170	0	0	0	0	0	
7	दिल्ली	473.76	0	0	20100	702	14057	197	
8	गोवा	0	108	14.99	280	0	280	0	
9	गुजरात	5244	166582	14339.54	131169	18055	127102	0	
10	हरियाणा	10735	94377	0	123062	5809	123062	0	
11	हिमाचल प्रदेश	2400	55213	7425	33057	5325	24949	0	
12	जम्मू और कश्मीर	202	4094	1362.76	11040	0	7159	0	
13	झारखंड	2071	0	892.95	20177	1723	22629	0	
14	कर्नाटक	3300	297478	39546.98	322606	2918	302286	12147	
14	केरल	4267.2	131314	8391	132286	0	146998	120	
16	मध्य प्रदेश	3308	323642	23042.54	361268	0	361268	0	
17	महाराष्ट्र	10669	404656	50497.96	540993	143392	426506	0	
18	मणिपुर	583.31	7310	750.56	6566	754	5516	794	
19	मेघालय	0	146	0	0	0	0	0	
20	ओडिशा	19879.8	106668	4747.56	202125	20891	202917	14071	
21	पुडुचेरी	0	0	0	6241	0	6241	0	
22	पंजाब	28008.4	309468	11573.21	274730	63131	200553	0	
23	राजस्थान	20056	310639	32922.79	191184	7768	339157	31454	
24	सिक्किम	255.5	328	0	361	104	387	104	
25	तमिलनाडु	74324	796206	43448.24	761114	140738	761114	89261	
26	तेलंगाना	33166	278363	14024.24	212706	0	272169	0	
27	त्रिपुरा	1904.68	14943	1991.84	14652	2597	16982	3542	
28	उत्तर प्रदेश	27000	1095469	25420.46	1238139	167288	1274740	65516	
29	उत्तराखंड	7301	39864	3969	69504	0	73920	0	
30	पश्चिम बंगाल	4369	607744	21256.91	382795	0	450004	0	
		279876.7	**5862121**	**341409.1**	**5925544**	**592815**	**6029970**	**246300**	

*वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव के साथ 2019-20 के लाभार्थियों की संख्या प्राप्त होगी।

3. अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (12.03.2020 के अनुसार):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जारी केंद्रीय सहायता (रूपए लाख में)				शामिल किए गए लाभार्थी			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	2824.96	3377.00	5253.17	5524.92	5604	3417	एनआर	
2	असम	607.93	1413.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	*
3	बिहार	3886.91	0.00	600.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	
4	छत्तीसगढ़	1699.20	6807.00	2148.00	1553.50	2787	2744	567	
5	गुजरात	1756.05	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	
7	हरियाणा	1752.26	1117.00	1534.00	0.00	एनआर	4894	एनआर	
8	हिमाचल प्रदेश	607.95	1300.00	962.00	2500.00	1403	2065	2014	
9	जम्मू और कश्मीर	307.48	407.00	371.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	
10	झारखंड	1099.54	845.00	2243.00	1780.00	8752	779	एनआर	
11	कर्नाटक	3197.29	8189.00	6355.44	0.00	6278	एनआर	एनआर	
12	केरल	550.73	1452.00	1137.00	1210.97	2408	एनआर	एनआर	
13	मध्य प्रदेश	7880.06	4759.00	9178.00	16097.00	4978	7245	5360	
14	महाराष्ट्र	4234.14	0.00	0.00	7650.86	2322	एनआर	एनआर	
15	मणिपुर	26.50	0.00	90.00	489.25	एनआर	एनआर	एनआर	
16	ओडिशा	2404.72	5070.00	5267.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	
17	पंजाब	5239.94	0.00	0.00	0.00	5033	6130	5341	
18	राजस्थान	1441.22	5683.00	6498.00	0.00	1121	3600	4000	
19	सिक्किम	47.76	150.00	165.00	419.14	एनआर	एनआर	एनआर	
20	तमिलनाडु	17846.23	5772.00	7407.47	19667.00	11533	11533	2505	
21	तेलंगाना*	3687.79	4168.00	3287.00	2613.77	571	एनआर	एनआर	
22	त्रिपुरा	905.62	2348.00	1470.00	0.00	735	2130	एनआर	
23	उत्तर प्रदेश	9201.40	11701.00	25263.14	27451.77	40645	एनआर	18506	
24	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	1503	980	1242	
25	पश्चिम बंगाल	8386.44	8580.00	10448.78	16485.00	15500	15325	18200	
26	चंडीगढ़	200.00	47.00	47.00	0.00	174	94	216	
27	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	235.00	एनआर	एनआर	एनआर	
28	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	
	कुल	**79792.12**	**73185**	**89725**	**103678.18**	**102595**	**60157**	**57951**	

एनआर: रिपोर्ट नहीं की गई है।

*वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव के साथ 2019-20 के लाभार्थियों की संख्या प्राप्त होगी।

4 (i) बालिकाओ हेतु बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (12.03.2020 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या				जारी निधि (रूपए लाख में)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	0	0	84	0	0	0	126	0
2	असम	0	450	200	0	0	718.44	622.0232	0
3	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	761.583
6	हरियाणा	0	0	0	0	244.17	404.89	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	2.5
8	जम्मू और कश्मीर	0	50	0	0	0	160.41	0	0
9	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	0	0	100	0	0	0	150	0
11	केरल	0	100	0	0	0	300	0	0
12	मध्य प्रदेश	500	800	0	0	352.34	3547.66	0	100
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	90	103.05	101.25	0
14	मणिपुर	0	0	0	0	271.55	628.37	149	1.62
15	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
17	नागालैंड	0	0	0	150	0	0	0	262.5
18	ओडिशा	200	100	0	0	653.73	283.73	0	0
19	पंजाब	100	100	270	0	571.78	273.88	399	0
20	राजस्थान	0	0	0	0	2.5	81.46	0	0
21	सिक्किम	0	0	100	0	0	0	175	0
22	तमिलनाडु	0	100	0	0	0	300	0	0
23	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	288.8	0
24	त्रिपुरा	150	0	0	0	157.5	157.5	0	2
25	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	6959.390	0	0
26	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
27	पश्चिम बंगाल	200	0	0	0	666.41	41.25	0	0
28	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
29	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
30	पुडुचेरी	0	0	200	0	0	0	300	0
	कुल	**1150**	**1700**	**954**	**150**	**3009.98**	**7000.6**	**2311.07**	**1130.203**

4. (ii) बालकों हेतु बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (12.03.2020 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या				जारी निधि (रूपए लाख में)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
2	असम	0	0	600	0	0	0	324.18	0
3	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	123.18
6	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	60	0	0	2.5
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	50	0	0	0	40.62	0
9	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	0	0	100	0	0	0	135	0
11	केरल	0	0	0	100	0	0	0	114.52
12	मध्य प्रदेश	500	0	250	0	240	240	412.5	120
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	65.79	67.5	0	0
14	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	118	0
15	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
17	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ओडिशा	100	0	0	0	50	0	188.4	0
19	पंजाब	100	0	0	0	71.71	26.84	23.4	0
20	राजस्थान	0	0	0	0	2.5	45	0	0
21	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	0	100	0	0	0	110.66	0	137.93
23	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
24	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
25	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
27	चंडीगढ	0	0	0	0	0	0	0	0
28	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
29	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	102.5	0
	कुल	**700**	**100**	**1000**	**100**	**490**	**490**	**1344.6**	**498.13**

5. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनाः प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लाभार्थी आधारित स्कीम नहीं है। दिनांक 12.03.2020 तक आवंटित और जारी निधियों का विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	राज्य के नाम	जारी केंद्रीय सहायता (रूपए करोड़ में)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	आंध्र प्रदेश	0.77	-	--	18.726
2.	असम	15.75	-	28.502	9.046
3.	बिहार	-	-	30.928	34.208
4.	छत्तीसगढ़	20.75	3.75	6.032	45.523
5.	गुजरात	-	-	2.60	-
6.	हरियाणा	1.32	-	--	6.336
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	9.36	34.916
8.	झारखंड	-	-	5.20	15.148
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	7.384	20.52
10.	केरल	-	-	0.104	0.108
11.	कर्नाटक	2.11	-	13.00	52.754
12.	मणिपुर	-	-	1.248	0.432
13.	मेघालय	-	-	0.416	-
14.	मध्य प्रदेश	3.15	10.50	--	118.465
15.	महाराष्ट्र	-	-	15.076	6.696
16.	ओडिशा	15.75	-	--	26.626
17.	पंजाब	1.32	16.10	16.74	20.358
18.	पुडुचेरी	-	-	1.04	-
19.	राजस्थान	-	-	--	103.79
20.	त्रिपुरा	-	-	0.52	3.02
21.	तमिलनाडु	-	-	14.98	22.248
22.	तेलंगाना	0.66		--	2.16
23.	उत्तराखंड	-	-	12.896	7.56
24.	उत्तर प्रदेश	1.10	8.65	1.85	164.3035
कुल		**62.68**	**39.00**	**167.876**	**712.9435**

6. पिछले तीन वर्षों और इस वर्ष दिनांक 12.03.2020 तक नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता और कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौराः

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	जारी केंद्रीय सहायता				लाभार्थी			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	1892.73	2609.01	3700.84	4814.337	6629	6629	12295	12295
2	असम	शून्य	6	शून्य	0	0	0	0	0
3	बिहार	728.01	1506.67	1220	1220	2342	2342	3266	3500
4	छत्तीसगढ़	274.97	507.12	शून्य	1696.4	634	1088	1064	1170
5	गोवा	13.8	7.45	40	4	12	20	6	40
6	गुजरात	1438.41	3010.755	1072.24	3981.16	2737	2845	2452	3250
7	हरियाणा	458.55	753.625	1041.419	1214.61	952	1234	2156	0
8	हिमाचल प्रदेश	281.74	42.485	शून्य	477.005	422	574	529	300
9	झारखंड	84.53	183.702	316.565	266	117	595	556	1000
10	कर्नाटक	2933.46	2864.77	6020.75	6867.25	4057	6630	7711	9500
11	केरल	0	1105.46	शून्य	2746.075	1838	2691	3377	2645
12	मध्य प्रदेश	4207	6819.965	7224.67	7900.325	6864	9492	7076	11005
13	महाराष्ट्र	1600	2547.47	416.553	6194.752	4574	7574	5546	3710
14	ओडिशा	1050.25	1124.435	1356.25	3206.305	4322	2471	3738	3434
15	पंजाब	265	100	शून्य	0	500	1000	0	0
16	राजस्थान	1400	3070.695	1820.26	1060	2013	3986	4092	3500
17	सिक्किम	17	21	25	25	80	100	100	100
18	तमिलनाडु	1724.77	1921.235	2525.015	1833.05	3465	3413	3660	4080
19	तेलंगाना	1147.86	1373.445	2306.275	1993.88	2219	1648	5744	6339
20	त्रिपुरा	0	14.75	22.957	39.14	0	2	1	10
21	उत्तर प्रदेश	2214.9	5100.471	10813.12	14136.05	11414	16573	16531	17120
22	उत्तराखंड	13.02	76.4875	144.28	102.8675	5	125	142	225
23	पश्चिम बंगाल	300	409	256.041	897.6056	1468	817	679	1120
24	चंडीगढ़	10	10	50	75	20	20	20	34
25	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	25	0	48	16	21	25	22	8
26	पुडुचेरी	175	400	152	184	72	36	180	206
	कुल	**22256**	**35586**	**40572.23**	**60950.81**	**56777**	**71930**	**80943**	**84591**

7.सफाई और स्वास्थ्य जोखिम पूर्व रोजगार में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या				वर्ष 2019-20 से दिनांक 12.03.2020 तक जारी निधियां (रूपए करोड़ में)
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1.	गुजरात	एनआर	एनआर	एनआर	*	3.00
2.	हिमाचल प्रदेश	एनआर	2265	1761		0
3.	महाराष्ट्र	94295	एनआर	एनआर		0
4.	मिजोरम	440	एनआर	एनआर		0
5.	सिक्किम	एनआर	एनआर	75		0
	कुल	**94735**	**2265**	**1836**		**3.00**

एनआर: रिपोर्ट नहीं की गई है।

*वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव के साथ 2019-20 के लाभार्थियों की संख्या प्राप्त होगी।

8. ओबीसी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(रूपए और लाभार्थी लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20	
		सैद्धांतिक आवंटन	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	सैद्धांतिक आवंटन	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	सैद्धांतिक आवंटन	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	सैद्धांतिक आवंटन	जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	536.00	681.87	0.49	536.00	402.00	0.58	890.00	890.00	0.64	841.00	841.00
2	बिहार	1134.00	850.50	101.44	1134.00	1782.00	$	1875.00			1778.00	
3	छत्तीसगढ़	279.00	0.00	0	279.00	0.00	9.53	460.00	460.00		437.00	
4	गोवा	16.00	20.46	0.10	16.00	173.00	0.10	30.00	30.00	0.06	26.00	19.50
5	गुजरात	660.00	765.88	1.09	660.00	942.00	0.68	1090.00	1090.00	0.97	1034.00	800.00
6	हरियाणा	277.00	342.82	0.38	277.00	126.13	$	460.00	190.00		435.00	190.00
7	हिमाचल प्रदेश	75.00	0.00	0	75.00	0.00	0.00	125.00			118.00	
8	जम्मू और कश्मीर	137.00	75.74	0.51	137.00	0.00	0.00	225.00			214.00	
9	झारखंड	360.00	458.04	16.85	360.00	514.00	11.45	595.00	595.00	0.54	565.00	565.00
10	कर्नाटक	667.00	848.52	16.24	667.00	952.00	18.92	1105.00	1105.00	13.33	1046.00	1046.00
11	केरल	365.00	464.23	3.06	365.00	521.00	4.79	605.00	453.75	1.80	572.00	572.00
12	मध्य प्रदेश	793.00	1008.69	$	793.00	0.00	0.00	1310.00			1243.00	
13	महाराष्ट्र	1228.00	1217.92	$	1228.00	921.00	$	2030.00			1925.00	
14	ओडिशा	458.00	426.75	1.00	458.00	395.00	0.10	760.00	482.67	1.11	717.00	717.00
15	पंजाब	303.00	385.29	$	303.00	0.00	0.00	500.00	198.00	2.54	474.00	474.00
16	राजस्थान	749.00	575.32	4.27	749.00	1247.00	$	1240.00	930.00	3.25	1175.00	881.25
17	तमिलनाडु	787.00	977.49	1.27	787.00	590.25	$	1305.00			1235.00	1235.00
18	तेलंगाना	389.00	0.00	0	389.00	0.00	0.00	640.00			610.00	
19	उत्तर प्रदेश	2180.00	2772.99	0.93	2180.00	3112.00	1.03	3605.00	3605.00	2.57	3418.00	3418.00
20	उत्तराखंड	110.00	0.00	0	110.00	0.00	0.00	180.00			173.00	
21	पश्चिम बंगाल	997.00	747.75	3.67	997.00	879.84	2.95	1650.00	1650.00	5.36	1564.00	1564.00
22	असम	1228.00	58.93	$	1228.00	0.00	0.10	1900.00			1801.00	
23	मणिपुर	106.00	0.00	0	106.00	0.00	0.00	160.00			156.00	
24	सिक्किम	24.00	12.60	0.03	24.00	2.50	0.01	40.00	4.49	0.01	35.00	7.31
25	त्रिपुरा	142.00	142.00	0.68	142.00	142.00	0.59	220.00	300.00	0.60	208.00	350.00
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.00	0.00	0	11.00	36.00	$	10.00	9.23	0.01	11.00	
27	चंडीगढ़	61.00	1.97	0.01	61.00	2.98	0.01	60.00	10.05		61.00	10.00
28	दादर और नागर हवेली	17.00	0.00	0	17.00	1.02	$	20.00	0.90		17.00	0.795
29	दमन और दीव	11.00	0.00	0	11.00	60.00	$	10.00	79.82		11.00	74.145
30	दिल्ली	93.00	54.76	$	93.00	0.00	0.00	90.00	58.75	0.10	93.00	183.00
31	पुडुचेरी	7.00	23.00	0.03	7.00	21.00	$	10.00	41.25	0.03	7.00	41.25
	कुल	**14200.00**	**12913.52**	**152.05**	**14200.00**	**12822.72**	**50.84**	**23200.00**	**12183.91**	**32.92**	**22000.00**	**12989.25**

टिप्पणी: वर्ष 2019-20 के लिए लाभार्थियों के आंकड़े राज्यों से प्रतीक्षित हैं।

9. ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20	
		सैद्धांतिक आवंटन	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	सैद्धांतिक आवंटन	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	सैद्धांतिक आवंटन	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	सैद्धांतिक आवंटन	जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	3404.00	3709.10	7.34	3404.00	4399.11	8.64	4183.00	4121.81	8.16	5159.00	7048.00
2	बिहार	7196.00	5397.00	1.74	7196.00	0.00	2.56	8843.00	8842.71		10906.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	1766.00	0.00	0.00	1766.00	2282.26	2.85	2172.00	2172.00		2679.00	0.00
4	गोवा	104.00	113.32	0.03	104.00	132.53	0.06	128.00	297.05	0.06	158.00	216.00
5	गुजरात	4187.00	4562.28	0.93	4187.00	5335.74	1.59	5145.00	5145.00	2.06	6346.00	8670.00
6	हरियाणा	1761.00	0.00		1761.00	0.00	0.27	2164.00	1235.46		2669.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	478.00	520.84	0.12	478.00	609.15	0.10	588.00	588.00		725.00	543.75
8	जम्मू और कश्मीर	867.00	944.71	0.09	867.00	650.25	0.07	1065.00	801.10		1313.00	0.00
9	झारखंड	2288.00	2493.08	1.21	2288.00	2956.86	1.35	2811.00	2811.00	0.30	3467.00	4736.00
10	कर्नाटक	4236.00	4615.67	16.40	4236.00	5474.32	5.99	5205.00	5205.00	8.38	6420.00	8771.00
11	केरल	2315.00	2327.19	1.66	2315.00	2950.14	1.55	2845.00	2845.00	1.30	3509.00	4794.00
12	मध्य प्रदेश	5033.00	5484.11	0.90	5033.00	6504.32	0.13	6185.00	6185.00	0.18	7628.00	10421.00
13	महाराष्ट्र	7792.00	8490.40	0.83	7792.00	5844.00	0.60	9575.00	9575.00		11810.00	16135.00
14	ओडिशा	2905.00	2855.75	1.58	2905.00	2178.75	1.80	3570.00	3534.81	1.38	4402.00	6014.00
15	पंजाब	1920.00	2092.10	$	1920.00	1440.00		2360.00	0.00		2910.00	0.00
16	राजस्थान	4756.00	5182.28	0.46	4756.00	5663.47	0.67	5844.00	5782.49		7208.00	6358.16
17	तमिलनाडु	4998.00	5445.97	1.36	4998.00	4550.00	1.36	6142.00	6142.00	1.69	7575.00	10349.00
18	तेलंगाना	2468.00	2689.21	$	2468.00	1851.00		3033.00	0.00		3740.00	5109.00
19	उत्तर प्रदेश	13837.00	15077.22	2.09	13837.00	17882.03	6.10	17004.00	20450.66	5.49	20972.00	20972.00
20	उत्तराखंड	700.00	737.74	0.04	700.00	525.00	0.14	860.00	269.46		1061.00	0.00
21	पश्चिम बंगाल	6329.00	6602.03	2.33	6329.00	8179.08	3.06	7778.00	6702.51	3.07	9593.00	7638.89
22	अंडमान और निकोबार	11.00	0.00	0.00	11.00	14.66	0.01	11.00	11.00	0.01	33.50	0.00
23	दादरा और नगर हवली	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00		17.00	0.00		50.00	0.00
24	दमन और दीव	11.00	7.13	$	11.00	0.00	0.02	11.00	28.00		33.50	29.73
25	चंडीगढ़	61.00	92.87	0.00	61.00	85.34	0.00	61.00	61.00	0.00	183.00	137.25
26	दिल्ली	187.00	187.00	0.00	187.00	100.00	0.00	187.00	154.00	0.01	933.00	289.53
27	पुडुचेरी	13.00	12.99	0.01	13.00	31.99	0.02	13.00	32.00	0.02	67.00	138.27
28	असम	7255.00	5026.84	0.41	7255.00	0.00	0.48	9991.00	3634.92		11833.00	0.00
29	मणिपुर	628.00	471.00	0.09	628.00	622.37	0.10	864.00	653.31		1024.00	1467.88
30	त्रिपुरा	837.00	1950.00	0.16	837.00	2150.00	0.15	1153.00	2450.00	0.18	1365.00	3000.00
31	सिक्किम	140.00	500.00	0.01	140.00	549.98	0.01	192.00	316.10	0.02	228.00	514.00
	कुल:	**88500.00**	**87587.83**	**39.79**	**88500.00**	**82962.35**	**39.68**	**110000.00**	**100046.39**	**32.31**	**136000.00**	**123352.46**

टिप्पणी: वर्ष 2019-20 के लिए लाभार्थियों के आंकडे राज्यों से प्रतीक्षित हैं।

10. ओबीसी छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20		
		वास्तविक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि
		छात्रावासों की संख्या	सीटों की संख्या		छात्रावासों की संख्या	सीटों की संख्या		छात्रावासों की संख्या	सीटों की संख्या		छात्रावासों की संख्या	सीटों की संख्या	
1	आंध्र प्रदेश	3	300	405.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1000	0.00
2	जम्मू और कश्मीर	2	419	502.72	0	0	536.64	0	0	0.00	0	0	0.00
3	मध्य प्रदेश	4	800	497.69	2	200	1434.22	0	0	342.23	0	0	0
4	ओडिशा	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
5	तमिलनाडु	0	0	0.00	0	0	205.39	0	0	0.00	12	1000	1057.00
6	उत्तर प्रदेश	3	300	140.22	0	0	273.75	0	0	84.13	0	0	0
7	पश्चिम बंगाल	1	100	413.40	0	0	0.00	0	0	259.60	0	0	0.00
8	मणिपुर	4	400	675.97	0	0	141.75	4	400	1197.00	0	0	0.00
9	त्रिपुरा	0	0	0.00	0	0		0	0	0.00	0	0	0.00
10	सिक्किम	2	200	315.00	0	0	608.00	0	0	283.50	0	0	0.00
11	केंद्रीय विश्वविद्यालय	2	200	1050.00	3	400	1050.00	5	500	1438.75	2	100	253.00
	कुल	**21**	**2719**	**4000.00**	**5**	**600**	**4249.75**	**9**	**900**	**3605.21**	**14**	**1100**	**1310.00**

अनुबंध-3

दिनांक 17.03.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3887 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

1. **अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की केंद्रीय सैक्टर छात्रवृत्ति:** पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (12.03.2020 तक) के दौरान आवंटित, जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय	कुल लाभार्थियों की संख्या
2016-17	21.00	28.50	2033
2017-18	35.00	33.94	1883
2018-19	35.00	25.48	1385
2019-20	40.50	28.66	890 (लगभग)

2. **एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोंचिग स्कीम:** पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (12.03.2020 तक) के दौरान आवंटित, जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय	कुल लाभार्थियों की संख्या
2016-17	25.00	1.50	250
2017-18	25.00	19.84	2247
2018-19	30.00	14.87	1296
2019-20	30.00	9.64	1245

3. **एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम:** पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (12.03.2020 तक) के दौरान आवंटित, जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय	कुल लाभार्थियों की संख्या (नए छात्र)
2016-17	200.00	196.00	2000
2017-18	230.00	225.40	2000
2018-19	300.00	240.00	2000
2019-20	360.00	246.66	2000

4. **राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्तिः** पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (12.03.2020 तक) के दौरान आवंटित, जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय	कुल लाभार्थियों की संख्या
2016-17	15.00	14.02	108
2017-18	15.00	3.13*	183
2018-19	15.00	5.97*	100
2019-20	20.00	25.68	92

* वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान पीएफएमएस के कार्यान्वयन के कारण व्यय की कम बुकिंग हुई

5. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीएस) को सहायता

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय	कवर किए गए लाभार्थी
2016-17	20.00	20.00	124723
2017-18	20.00	20.00	117766
2018-19	20..00	20.00	72641
2019-20	30.00	19.60	उपलब्ध नहीं है

6. अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर केपिटल फंड (वीसीएफ-एससी)

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय	कवर किए गए लाभार्थी
2016-17	40.00	40.00	18
2017-18	40.00	40.00	18
2018-19	10.00	10.00	11
2019-20 (31/12/2019 तक)	60.00	51.00	15

7. अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी स्कीम

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय	कवर किए गए लाभार्थी
2016-17	0.01	0.01	2
2017-18	0.01	0.01	1
2018-19	0.01	0.01	2
2019-20	0.01	0	2

8. स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) के लिए सहायता अनुदान

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय
2016-17	70.00	31.46
2017-18	70.00	70.00
2018-19	50.00	36.08
2019-20	70.00	28.84 (20/12/2019 तक)

9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	व्यय	कवर किए गए लाभार्थी
2016-17	138.00	138.00	99113
2017-18	128.21	128.21	125428
2018-19	137.39	137.39	100520
2019-20	180.00	14.60	90194

10. ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	बीई/आरई	वित्तीय	वास्तविक
2016-17	27.00/27.00	27.00	900
2017-18	40.00/40.00	20.00	1200
2018-19	110.00/30.00	30.00	2200
2019-20	70.00	52.50	-

11. ओबीसी/ईबीसी के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर स्कीम

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	बीई/आरई	ओबीसी/ईबीसी के लिए जारी निधियां	ईबीसी लाभार्थियों की संख्या/पूरे किए गए क्लेम (संख्या में)
2016-17	2.00/3.00	2.90	347
2017-18	4.30/4.30	19.87	555
2018-19	10.00/10.00	10.00	903
2019-20	15.00/26.09	15.00	588

12. ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी के कौशल विकास हेतु सहायता

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	बीई/आरई	वित्तीय	वास्तविक
2016-17	4.00/9.00	8.99	19248
2017-18	10.00/10.00	15.00	52073
2018-19	30.00/30.00	40.00	-
2019-20	30.00	15.00	